हिंदू विधि (Hindu Law)

महत्वपूर्ण धाराएँ

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955)

यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह और उससे जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है।

This Act governs marriages among Hindus and related matters.

* धारा 4 (Section 4): अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव (Overriding effect of Act)

* यह बताता है कि यह अधिनियम अन्य सभी हिंदू विधियों, रीतियों और प्रथाओं पर प्रभावी होगा, जो विवाह के मामलों से संबंधित हैं।

* States that this Act shall have overriding effect on all other Hindu laws, customs, and usages related to matrimonial matters.

* धारा 5 (Section 5): हिंदू विवाह की शर्तें (Conditions for a Hindu marriage)

* यह एक वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्तों को निर्धारित करता है, जैसे एकविवाह, स्वस्थ मन, आयु और निषिद्ध डिग्री या सपिंड संबंध का अभाव।

* Lays down the essential conditions for a valid Hindu marriage, such as monogamy, sound mind, age, and absence of prohibited degrees or sapinda relationship.

* धारा 7 (Section 7): हिंदू विवाह की रस्में (Ceremonies for a Hindu marriage)

* यह हिंदू विवाह के लिए आवश्यक रस्मों और रीति-रिवाजों को मान्यता देता है, जिसमें "सप्तपदी" (सात कदम) का महत्व भी शामिल है।

* Recognizes the essential ceremonies and customs for a Hindu marriage, including the significance of "Saptapadi" (seven steps).

* धारा 9 (Section 9): दाम्पत्य अधिकारों की बहाली (Restitution of Conjugal Rights)

* यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे से अलग हो जाता है, तो व्यथित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर कर सकता है।

* If either spouse withdraws from the society of the other without reasonable excuse, the aggrieved party may petition for restitution of conjugal rights.

* धारा 10 (Section 10): न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation)

* यह वह प्रावधान है जिसके तहत पति या पत्नी अदालत से न्यायिक पृथक्करण का आदेश प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे विवाह को भंग किए बिना अलग रह सकते हैं।

* This is the provision under which a spouse can obtain a decree of judicial separation from the court, allowing them to live apart without dissolving the marriage.

* धारा 11 (Section 11): शून्य विवाह (Void Marriages)

* उन विवाहों को सूचीबद्ध करता है जो धारा 5 की कुछ शर्तों (जैसे एक जीवित पति/पत्नी का होना या निषिद्ध संबंध) का उल्लंघन करने के कारण प्रारंभ से ही अमान्य होते हैं।

* Lists marriages that are void ab initio (from the very beginning) due to contravention of certain conditions of Section 5 (e.g., having a living spouse or prohibited relationship).

* धारा 12 (Section 12): शून्यकरणीय विवाह (Voidable Marriages)

* उन विवाहों को सूचीबद्ध करता है जो वैध होते हैं जब तक कि पीड़ित पक्ष न्यायालय से उन्हें शून्य घोषित करने की डिक्री प्राप्त न कर ले (जैसे सहमति प्राप्त न होना या नपुंसकता)।

* Lists marriages that are valid until a decree of nullity is obtained from the court by the aggrieved party (e.g., lack of valid consent or impotency).

* धारा 13 (Section 13): विवाह-विच्छेद (Divorce)

* यह विवाह-विच्छेद के विभिन्न आधारों को निर्दिष्ट करता है, जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्म-परिवर्तन, असाध्य मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, आदि।

* Specifies various grounds for divorce, such as adultery, cruelty, desertion, conversion, incurable mental disorder, leprosy, venereal disease, etc.

* धारा 13बी (Section 13B): पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद (Divorce by Mutual Consent)

* यह वह प्रावधान है जिसके तहत पति और पत्नी दोनों मिलकर पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

* This is the provision under which both husband and wife can jointly petition for divorce by mutual consent.

* धारा 16 (Section 16): शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की वैधता (Legitimacy of children of void and voidable marriages)

* यह उन बच्चों की वैधता प्रदान करता है जो धारा 11 या धारा 12 के तहत शून्य या शून्यकरणीय घोषित विवाहों से पैदा हुए हैं।

* Confers legitimacy upon children born out of marriages declared void or voidable under Section 11 or Section 12.

* धारा 18 (Section 18): कुछ शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड (Punishment for contravention of certain conditions)

* यह धारा 5 में निर्धारित कुछ शर्तों (विशेषकर आयु) के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है।

* Provides for punishment for contravention of certain conditions laid down in Section 5 (especially age).

* धारा 24 (Section 24): लंबित कार्यवाही में भरण-पोषण (Maintenance pendente lite)

* यह पति या पत्नी को लंबित विवाह कार्यवाही के दौरान अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों का दावा करने की अनुमति देता है।

* Allows a spouse to claim interim maintenance and expenses of proceedings during the pendency of matrimonial proceedings.

* धारा 25 (Section 25): स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण (Permanent alimony and maintenance)

* यह विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद पति या पत्नी को स्थायी भरण-पोषण या एकमुश्त गुजारा भत्ता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

* Provides for the grant of permanent maintenance or a lump sum alimony to a spouse after a decree of divorce or judicial separation is passed.

2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956)

यह अधिनियम बिना वसीयत के मरने वाले हिंदुओं की संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।

This Act governs the succession of property of Hindus dying intestate.

* धारा 4 (Section 4): अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव (Overriding effect of Act)

* यह बताता है कि यह अधिनियम अन्य सभी हिंदू विधियों, रीतियों और प्रथाओं पर प्रभावी होगा, जो निर्वसीयती उत्तराधिकार के मामलों से संबंधित हैं।

* States that this Act shall have overriding effect on all other Hindu laws, customs, and usages related to intestate succession matters.

* धारा 6 (Section 6): सहदायिक संपत्ति में हित का न्यागमन (Devolution of interest in coparcenary property)

* यह धारा 2005 के संशोधन के बाद महत्वपूर्ण है, जिसने एक सहदायिक की बेटी को भी सहदायिकी में जन्म से ही एक बेटे के समान अधिकार दिया।

* This section is crucial after the 2005 amendment, which granted a daughter of a coparcener the same rights as a son in the coparcenary by birth.

* धारा 8 (Section 8): पुरुष हिंदुओं की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम (General rules of succession in the case of males)

* यह एक पुरुष हिंदू के बिना वसीयत के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियम प्रदान करता है, जो वर्ग I, वर्ग II के वारिसों, गोत्रजों और बंधुओं के क्रम को बताता है।

* Provides the general rules for the devolution of property of a male Hindu dying intestate, outlining the order of Class I, Class II heirs, agnates, and cognates.

* धारा 10 (Section 10): अनुसूची के वर्ग I में के वारिसों में संपत्ति का वितरण (Distribution of property among heirs in class I of the Schedule)

* यह वर्ग I के वारिसों के बीच संपत्ति के वितरण का तरीका निर्धारित करता है।

* Prescribes the mode of distribution of property among Class I heirs.

* धारा 14 (Section 14): हिंदू नारी की संपत्ति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी संपत्ति होगी (Property of a female Hindu to be her absolute property)

* यह धारा उन सभी संपत्तियों को एक हिंदू महिला की पूर्ण संपत्ति बनाती है, जो उसने किसी भी तरीके से या किसी भी समय (अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में) प्राप्त की हो। यह 'स्त्री धन' पर एक महिला के पूर्ण अधिकार को संहिताबद्ध करती है।

* This section makes all property acquired by a Hindu female, by any means or at any time (before or after the commencement of the Act), her absolute property. It codifies a woman's absolute right over 'Stridhan'.

* धारा 15 (Section 15): हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम (General rules of succession in the case of female Hindus)

* यह एक हिंदू महिला के बिना वसीयत के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियम प्रदान करता है।

* Provides the general rules for the devolution of property of a female Hindu dying intestate.

* धारा 16 (Section 16): हिंदू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति (Order of succession and manner of distribution among heirs of a female Hindu)

* यह धारा 15 के तहत आने वाली महिलाओं की संपत्ति के उत्तराधिकार का विशिष्ट क्रम और तरीका बताती है।

* Specifies the order and manner of succession for property of females falling under Section 15.

* धारा 20 (Section 20): गर्भस्थ शिशु का अधिकार (Right of child in womb)

* यह धारा गर्भस्थ शिशु को उस स्थिति में जीवित पैदा होने पर उत्तराधिकार के उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्ति के रूप में मानती है, जो संपत्ति के मालिक की मृत्यु के समय जीवित था।

* This section deems a child in the womb, if subsequently born alive, as existing at the time of the owner's death for purposes of inheritance.

* धारा 30 (Section 30): वसीयती उत्तराधिकार (Testamentary succession)

* यह एक हिंदू की अपनी संपत्ति को वसीयत द्वारा निपटाने की शक्ति की पुष्टि करता है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अधीन है।

* Affirms the power of a Hindu to dispose of their property by will, subject to the provisions of the Indian Succession Act, 1925.

3. हिंदू अवयस्कता और संरक्षता अधिनियम, 1956 (Hindu Minority and Guardianship Act, 1956)

यह अधिनियम हिंदू अवयस्कों और उनके प्राकृतिक संरक्षकों से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है।

This Act codifies the law relating to Hindu minors and their natural guardians.

* धारा 4 (Section 4): परिभाषाएँ (Definitions)

* 'अवयस्क' (Minor) और 'संरक्षक' (Guardian) जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करता है।

* Defines key terms like 'minor' and 'guardian'.

* धारा 6 (Section 6): हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक (Natural guardians of a Hindu minor)

* यह एक हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षकों को परिभाषित करता है, जिसमें बेटे और अविवाहित बेटी के मामले में पिता और उसके बाद माता शामिल हैं।

* Defines the natural guardians of a Hindu minor, including the father and then the mother in the case of a son, and the mother and then the father in the case of an unmarried daughter.

* धारा 8 (Section 8): प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ (Powers of natural guardian)

* यह प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों को बताता है, जिसमें अवयस्क की संपत्ति के संबंध में कुछ कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल है।

* Lays down the powers of a natural guardian, including the requirement to obtain court permission for certain acts regarding the minor's property.

* धारा 9 (Section 9): वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ (Testamentary guardians and their powers)

* यह माता-पिता द्वारा अपनी इच्छा से नियुक्त संरक्षक के प्रावधानों को बताता है।

* Provides for the appointment of guardians by will by the parents.

* धारा 13 (Section 13): अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा (Welfare of minor to be paramount consideration)

* यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संरक्षक की नियुक्ति या घोषणा करते समय अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा।

* This is the most crucial principle stating that the welfare of the minor shall be the paramount consideration in appointing or declaring a guardian.

4. हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956)

यह अधिनियम हिंदुओं के बीच दत्तक ग्रहण (गोद लेने) और भरण-पोषण से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है।

This Act codifies the law relating to adoptions and maintenance among Hindus.

* धारा 6 (Section 6): वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यकताएँ (Requisites of a valid adoption)

* यह एक वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तों को निर्धारित करता है, जैसे गोद लेने वाले व्यक्ति की क्षमता, गोद देने वाले व्यक्ति की क्षमता, गोद लिए जाने वाले व्यक्ति की पात्रता, और अन्य शर्तें।

* Lays down the essential conditions for a valid adoption, such as the capacity of the person taking in adoption, the person giving in adoption, the person to be adopted, and other conditions.

* धारा 7 (Section 7): एक पुरुष हिंदू की दत्तक ग्रहण करने की क्षमता (Capacity of a male Hindu to take in adoption)

* यह एक पुरुष हिंदू की दत्तक ग्रहण करने की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

* Specifies the conditions for a male Hindu to take in adoption.

* धारा 8 (Section 8): एक महिला हिंदू की दत्तक ग्रहण करने की क्षमता (Capacity of a female Hindu to take in adoption)

* यह एक महिला हिंदू की दत्तक ग्रहण करने की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

* Specifies the conditions for a female Hindu to take in adoption.

* धारा 9 (Section 9): दत्तक ग्रहण में देने में सक्षम व्यक्ति (Persons capable of giving in adoption)

* यह बताता है कि कौन (पिता, माता या संरक्षक) बच्चे को दत्तक ग्रहण में दे सकता है।

* States who (father, mother, or guardian) can give a child in adoption.

* धारा 10 (Section 10): दत्तक ग्रहण किए जा सकने वाले व्यक्ति (Persons who may be adopted)

* यह उन शर्तों को निर्धारित करता है जिन्हें एक व्यक्ति को पूरा करना चाहिए ताकि उसे गोद लिया जा सके।

* Lays down the conditions that a person must fulfill to be capable of being adopted.

* धारा 11 (Section 11): वैध दत्तक ग्रहण के लिए अन्य शर्तें (Other conditions for a valid adoption)

* यह वैध दत्तक ग्रहण के लिए अतिरिक्त शर्तों का प्रावधान करता है, जैसे गोद लेने वाले और गोद लिए जाने वाले के बीच आयु का अंतर।

* Provides for additional conditions for a valid adoption, such as age difference between the adopter and the adopted.

* धारा 12 (Section 12): दत्तक ग्रहण के प्रभाव (Effects of adoption)

* यह गोद लेने के कानूनी परिणामों को बताता है, जिसमें गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने वाले परिवार का सदस्य मानना और पिछले परिवार से संबंध विच्छेद करना शामिल है।

* States the legal consequences of adoption, including deeming the adopted child a member of the adoptive family and severance of ties with the previous family.

* धारा 18 (Section 18): पत्नी का भरण-पोषण (Maintenance of wife)

* यह एक हिंदू पत्नी के अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान करता है।

* Provides for the right of a Hindu wife to claim maintenance from her husband.

* धारा 19 (Section 19): विधवा पुत्रवधू का भरण-पोषण (Maintenance of widowed daughter-in-law)

* यह एक विधवा पुत्रवधू के अपने ससुर से भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रावधान करता है।

* Provides for the right of a widowed daughter-in-law to claim maintenance from her father-in-law.

* धारा 20 (Section 20): बच्चों और वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण (Maintenance of children and aged parents)

* यह बच्चों और वृद्ध या कमजोर माता-पिता के भरण-पोषण के अधिकार का प्रावधान करता है।

* Provides for the right to maintenance of children and aged or infirm parents.

* धारा 21 (Section 21): आश्रितों की परिभाषा (Dependants defined)

* यह उन व्यक्तियों को परिभाषित करता है जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'आश्रित' माना जाता है।

* Defines the persons who are considered 'dependants' for the purposes of this Act.